कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/20/2020

राधेश्याम पुरोहित पुत्र. स्व. पूरनाराम ग्रांम फतेहपुर कलॉ पो. मूडोती वाया नगर, तहसील नगर जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, नगर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 11.03.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट राधेश्याम पुरोहित पुत्र. स्व. पूरनाराम ग्रांम फतेहपुर कलॉ पो. मूडोती वाया नगर तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 09.12.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नगर से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी, नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/20 /95 दिनांक 11.02.2020 से उपखण्ड अधिकारी, नगर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी, नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का अपील में कथन किया है कि आर.टी.आई. के तहत चाही गई सूचनायें उपखण्ड अधिकारी, नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। उपखण्ड अधिकारी, नगर को सावचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावर्ती ना हो। उपखण्ड अधिकारी, नगर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस

कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावाधान है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, नगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदउपरान्त ही अपीलार्थी को चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी नगर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.03.19 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: